चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 13.12.025 को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर न्यायालय परिसर में लगे कर्मचारियों व एलआईयू,डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने अमवां मोड़ के पास लूट की घटना कारित करने वाले 04 आरोपी अभियुक्तों को लूट के 01 अदद लाकेट मय टूटी हुई चेन ,01 अदद लाकेट , 01 अदद पायल सफेद धातु ,02 अदद पायल का टुकडा सफेद धातु ,03 अदद चैन का टुकडा पीली धातु ,01 अदद तमंचा 312 बोर ,01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 312 बोर व घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार नं0 UP 72 BX 3660 ,मो0सा0 नं0 UP96A7242 सी0डी0 डीलक्स के साथ गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-
(1). जीतलाल पुत्र रामप्रताप निषाद निवासी शिवलहा पुरवा मजरा बरूवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
(2). सुखलाल उर्फ दुखी पुत्र नन्हकू निषाद निवासी ग्राम रीठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
(3). उमेश कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम डढिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
(4). जगतपाल पुत्र राम सजीवन निवासी ग्राम लहदुआ थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
अभियुक्तों को अपराधिक इतिहास-
अभियुक्त सुखलाल उर्फ दुखी उपरोक्त
1.मु0अ0सं0 48/20 धारा 380 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
2.मु0अ0सं0 169/20 धारा 188,269 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
3.मु0अ0सं0 81/25 धारा 115(2),352 बीएनएस, 3(1)(घ),3(1)(द) एससीएसटी एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
अभियुक्त उमेश कुमार उपरोक्त
1.मु0अ0सं0 38/2018 धारा 147,427,504,506 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
2.मु0अ0सं0 176/2023 धारा 323,498ए,504,506 भादवि0 ¾ डीपी एक्ट, भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
बरामदगी-
i. 01 अदद लॉकेट मय टूटी हुई चेन
ii. 01 अदद लाकेट
iii. 01 अदद पायल सफेद धातु
iv. 02 अदद पायल का टुकडा सफेद धातु
v. 03 अदद चैन का टुकडा पीली धातु
vi. 01 अदद तमंचा 12 बोर
vii. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
viii. 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
ix. लूट का 01 अदद मोबाइल वीवो कम्पनी
ix. घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार नं0 UP 72 BX 3660 व मो0सा0 नं0 UP96A7242 सी0डी0 डीलक्स
संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 08.12.2025 को वादी कैलाश पुत्र श्याम निषाद निवासी शिवलहा पुरवा मजरा बरुवा थाना राजापुर चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि दिनांक 07.12.2025 को वह बोलेरो वाहन सं0 UP72BX3660 के चालक जीतलाल निषाद के साथ अपनी पत्नी के साथ राजापुर में गृहस्थी का सामान खरीदने आया था तथा रामप्रसाद सोनार की दुकान से सोने के कान की बिजली खरीदे थे तथा पहले से अपने गले मे दो सोने के लॉकेट व एक मंगलसूत्र सोने का पहने थे। शाम को राजापुर से अपने घर के लिये निकले हम जैसे ही अमवा मोड़ पर पहुँचे मोड़ के पास बोलेरो धीमी करी वहा पहले से तीन अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। जिनका नाम पता अज्ञात व्यक्तियों ने बोलेरो रुकवाया और मैने गाड़ी का दरवाजा खोलकर रूकवाने का कारण पूछा तो उपरोक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज कर उनके व पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में पत्नी के 02 सोने के लॉकेट तथा मोबाइल वीवो कंपनी गिर गया। आशंका है कि वही अज्ञात व्यक्तियों ने मोबाइल तथा लॉकेट लूट लिया है। घटना की सूचना बोलेरो का चालक जीतलाल ने डायल 112 नंबर पर कॉल करके दी। इस सूचना पर मु0अ0सं0 284/2025 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक राजापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 12.12.2025 को थाना राजापुर पुलिस टीम को मुखविर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बरूवा मोड मंदिर के पास एक बोलेरो गाड़ी व एक बाइक खड़ी है कुछ व्यक्ति किसी सामान के बंटवारे को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं जो यदि जल्दी किया जाए तो उक्त संदिग्ध व्यक्ति पकड़े जा सकते हैं। पुलिस टीम तत्काल बरुआ मोड़ के पास पहुंची तो एक बोलेरो गाड़ी व बोलेरो गाड़ी की लाइट में कुछ लोग बैठे दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से बोलेरो में बैठे 02 व्यक्तियों व मो0सा0 में बैठे 02 व्यक्तियो को पकड़ लिया। बोलेरो UP72BX3660 में बैठे व्यक्ति क्रमशः चालक से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम जीतलाल पुत्र रामप्रताप निषाद निवासी शिवलहा पुरवा मजरा बरूवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो 01 अदद लाकेट मय टूटी हुई चेन, 01 अदद लाकेट धनुषनुमा पीली धातु बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुखलाल उर्फ दुखी पुत्र नन्हकू निषाद निवासी ग्राम रीठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद पायल सफेद धातु,01 अदद चैन का टुकडा पीली धातु ,01 अदद तमंचा 12 बोर ,01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। मोटर साइकिल नं0 UP96A7242 में बैठे चालक उमेश कुमार ने अपना नाम उमेश कुमाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम डढिया थाना राजापुर बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद पायल का टुकडा सफेद धातु व 01 अदद चैन का टुकडा पीली धातु ,01 अदद OPPO कम्पनी का मोबाइल बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जगतपाल पुत्र राम सजीवन निवासी ग्राम लहदुआ थाना पहाडी जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से 01अदद पायल का टुकडा सफेद धातु,01 अदद चैन का टुकडा पीली धातु बरामद हुए। उक्त पकडे गये चारो व्यक्तियों के पास से बरामद आभूषण के सम्बन्ध में पूंछा गया तो सभी ने एक स्वर में बताया कि हम लोगो ने दिनांक 07.12.2025 को एक लूट की घटना की थी यह आभूषण उसी लूट का है,कड़ाई से पूंछताछ में पकडे गये व्यक्तियों में से जीतलाल निषाद ने बताया कि दिनांक 07.12.25 को अपने ही गांव के मित्र कैलास निषाद व उसकी पत्नी राधा को अपनी बोलेरो से बाजार कराने हेतु राजापुर ले गया था राजापुर में जाकर कैलास की पत्नी ने सोनार की दुकान से सोने के कान के झुमके खरीदे थे तथा राधा अपने गले में भी काफी सोने के जेवरात व पैर में चाँदी के जेवरात पहने थी तथा कैलास अपने गले में सोने की चैन पहने था तभी मेरे मन में लालच आ गया तो मैने फोन के माध्यम से अपने फूफा सुखलाल को बताया था तभी मेरे फूफा ने घटना की योजना बनायी व योजना के मुताबिक मुझे बताया कि तुम राजापुर से आने में अंधेरा कर देना बाकी मैं तुम्हे रास्ते में अपने दोस्तो के साथ मिलकर अपना काम कर दूंगा योजना के मुताबिक में अपनी बोलेरो में कैलास व राधा को लेकर अंधेरा होने के बाद घर की ओर चल दिया कि अमवा मोड के पास मेरे फूफा उसके दो साथी बोलेरो की आगे आ गये तभी मैने अमवा मोड के पास अपनी गाडी को बन्द कर दिया। योजना के मुताबिक

उक्त तीनो लोगो ने हम लोगों के साथ मारपीट करते हुए तमंचा दिखाकर कैलास के गले की चैन व राधा के गले के लॉकेट व पायल को लूट लिया था तथा राधा का मोबाइल भी छीन लिया था तथा कैलास मौके से भाग गया था पकडे जाने के डर से मेरे फूफा व उसके दो साथी मौके से चले गये थे तभी मैने बचने के चक्कर में अपने मोबाइल से 112 नम्बर को सूचना दिया था ताकि मेरे दोस्त कैलास व उसकी पत्नी राधा को मुझ पर कोई शक न हो। उसी लूटे गये माल का बंटवारा हम लोग कर रहे थे। पकड़े गये व्यक्ति सुखलाल उपरोक्त के पास बरामद अवैध तमंचा 12 बोर व बरामद 12 बोर कारतूस के सम्बन्ध में 3/25 आर्म्स एक्ट व लूट के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगणो के पास से बरामद घटना में प्रयुक्त बोलेरो नं0 UP72BX3660 व मो0सा0 UP96A7242 के कागजात न होने पर उपरोक्त वाहनो को मुकदमें के साथ धारा 207 MV Act के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह
2. उ0नि0 नरेन्द्र यादव
3. आरक्षी लवकुश यादव
4. का0 शुभम
5. का0 शाकिर
6. का0 चन्दन 7.का0 अमित 8.चालक का0विमलेश

(4). आज दिनाँक 13.12.2025 को शासन की मनसा अनुरूप जन समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना बहिलपुरवा में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें साथ ही कहा कि जमीन सम्बन्धित समस्या को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाए। तत्पश्चात जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना बहिलपुरवा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी, पुलिस एवं राजस्व विभाग अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

(5). आज दिनाँक 13.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन थाना मऊ व थाना बरगढ़ में आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

महोदय द्वारा कहा गया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।